

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5511  
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

चंडीगढ़ में शहरी अवसंरचना का विकास

†5511. श्री मनीश तिवारी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ शहर के लिए विशेषरूप से स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति क्या है और 1 जून, 2015 से 15 मार्च, 2025 के बीच इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वर्तमान चरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर में शहरी अवसंरचना में बढ़ती कमी को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार शहरी अवसंरचना में चिंताजनक अंतर को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रही है;

(घ) 1 जून, 2015 से 15 मार्च, 2025 के बीच देश भर में शहरी अवसंरचना विकास के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई और इनके उपयोग का वर्षवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, विलंबित और पूरी की गई शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(च) निधि के समय पर वितरण करने और ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क) और (च): सातवीं और बारहवीं अनुसूची के साथ संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों/योजनाओं/परियोजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन मिशनों के तहत शामिल किए गए शहरों और कस्बों में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

शहरी बुनियादी ढांचे की बढ़ती ज़रूरतों को बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित वित्त के निजी स्रोतों द्वारा सहायता दी जाती है। सीमित सरकारी संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर रहे बिना शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पर्याप्त रूप से वित्तपोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के साधन के रूप में पीपीपी को सभी मिशन दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है।

### **अमृत और अमृत 2.0:**

अमृत के अंतर्गत चंडीगढ़ ने 57.41 करोड़ रु. की 12 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 35.87 करोड़ रु. की 07 जलापूर्ति परियोजनाएं, 20.2 करोड़ रु. की 02 सीवरज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 1.34 करोड़ रु. की 03 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। सभी 12 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक चंडीगढ़ में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 175.94 करोड़ रु. की 06 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 60 करोड़ रु. की 02 जलापूर्ति परियोजनाएं तथा 115.94 करोड़ रु. की 04 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। 105.68 करोड़ रु. की 04 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, जिनमें से 2.35 करोड़ रु. की 01 परियोजना पूरी हो चुकी है। 31.83 करोड़ रु. के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

अमृत के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, जारी की गई निधियां और उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक-2 में दी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,89,087.31 करोड़ रु. की कुल 8,868 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक 97,836.45 करोड़ रु. की 5,622 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं (अनुलग्नक-3)। वर्ष 2021-22 (अमृत 2.0 अक्टूबर, 2021 में शुरू किया गया था) से परियोजनाओं के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता और प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

#### **एससीएम:**

एससीएम की शुरुआत 25.06.2015 को हुई थी। एससीएम के अंतर्गत शामिल किए गए 100 शहरों के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय 48,000 करोड़ रु. है। मिशन की शुरुआत से अब तक चयनित शहरों और उनके द्वारा दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-5 में दिया गया है।

चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,694 करोड़ रु. की कुल 97 परियोजनाएं एससीएम के तहत शुरू की गई हैं, जिनमें से 2,692 करोड़ रु. की 96 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 89%) पूरी हो चुकी हैं।

दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार, एससीएम के तहत 1,64,545 करोड़ रु. की कुल 8,063 परियोजनाओं में से 1,50,306 करोड़ रु. की 7,504 परियोजनाएं (अर्थात कुल परियोजनाओं का 93%) पूरी हो चुकी हैं। मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक 100 स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार/शहर-वार प्रगति अनुलग्नक-6 में दी गई है।

एससीएम के अंतर्गत शामिल किए गए शहरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों में अन्य चुनौतियों के साथ-साथ कानूनी मुद्दे, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण, छोटे और मझोले शहरों में विक्रेता और संसाधन की उपलब्धता में चुनौतियां, कुछ शहरों में निर्णय लेने का केंद्रीकरण, सभी नगर निगम विभागों और एजेंसियों के एकीकरण के साथ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) की पूरी क्षमता का उपयोग, परियोजनाओं में बार-बार बदलाव और उन्हें छोड़ देना शामिल हैं।

#### एसबीएम-यू एवं एसबीएम-यू 2.0:

एसबीएम-यू 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान, 100% स्रोत पृथक्करण के माध्यम से पुरानी डंपसाइट का सुधार, घर-घर जाकर संग्रह, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं अपनाने के साथ-साथ कचरे के सभी अंशों का सुरक्षित रूप से स्वच्छ और वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।

एसबीएम-यू के अंतर्गत शौचालय निर्माण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण पहल, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान और अपशिष्ट

प्रसंस्करण क्षमताओं से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

एसबीएम-यू के तहत, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मिशन लक्ष्य 4,282 यूनिटों की तुलना में 6,117 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) यूनिट और 976 सीटों के मिशन लक्ष्य की तुलना में 2,512 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण किया गया है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 100% वार्डों में 100% घर-घर जाकर संग्रह किया जा रहा है, 100% वार्डों में नगरपालिका ठोस कचरे का 100% पृथक्करण हो रहा है। कुल उत्पन्न कचरे अर्थात् 471 मीट्रिक टन प्रतिदिन में से 100% का प्रसंस्करण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में किया जाता है। चंडीगढ़ सहित एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत आवंटित और दावा की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-7 और अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

\*चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास\* के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

अमृत के अंतर्गत जारी निधियों की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित एसएएपी साइज	प्रतिबद्ध सीए	वित्तीय वर्ष										कुल
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.82	10.82	0.00	0.64	0.72	0.81	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	10.81
2	आंध्र प्रदेश	2890.17	1056.62	60.08	70.32	397.90	91.39	246.69	0.00	0.00	76.37	107.13	0.00	1049.89
3	अरुणाचल प्रदेश	140.25	126.22	7.37	8.40	0.00	9.48	17.63	0.00	56.44	0.00	0.00	17.37	116.69
4	असम	657.14	591.42	3.07	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.64	258.84	0.00	0.00	511.71
5	बिहार	2469.77	1164.8	66.42	77.52	89.02	136.98	0.00	685.93	0.00	0.00	90.28	0.00	1146.15
6	चंडीगढ़	95.07	54.09	0.00	6.61	4.21	16.13	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26
7	छत्तीसगढ़	2192.76	1009.74	55.29	61.72	84.94	205.95	145.67	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	969.12
8	दादरा एवं नगर हवेली	10.82	10.82	0.68	0.72	0.00	0.76	4.27	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	10.59
	दमण और दीव	18.03	18.03	0.00	0.00	2.06	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	18.03
9	दिल्ली	802.31	802.31	44.61	53.15	62.70	0.00	151.55	0.00	206.20	0.00	155.53	0.00	673.74
10	गोवा	209.18	104.58	5.94	6.96	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.84	0.00	62.75
11	गुजरात	4884.42	2069.96	112.86	119.84	181.30	104.78	1074.58	0.00	73.60	0.00	300.00	0.00	1966.96
12	हरियाणा	2565.74	764.51	43.80	50.88	58.22	0.00	289.71	147.18	147.18	0.00	9.43	0.00	746.39
13	हिमाचल प्रदेश	304.52	274.07	15.88	18.24	20.69	30.58	60.23	56.73	66.71	0.00	0.00	0.00	269.06
14	जम्मू और कश्मीर	513.13	500.62	30.77	35.52	198.86	0.00	116.95	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00	477.74
15	लद्दाख	79.92	79.19					37.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	39.20
16	झारखंड	1245.74	566.17	27.59	33.16	52.48	84.00	135.22	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	551.69
17	कर्नाटक	4952.87	2318.79	118.46	154.32	325.09	544.01	710.54	280.50	125.93	0.00	0.00	0.00	2258.85
18	केरल	2359.38	1161.2	57.60	77.28	97.36	0.00	194.74	399.25	119.62	0.00	207.23	0.00	1153.08
19	लक्षद्वीप	3.61	3.61	0.00	0.38	0.35	0.00	0.70	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	2.25
20	मध्य प्रदेश	6200.67	2592.86	134.41	172.56	211.61	952.71	925.00	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00	2497.05
21	महाराष्ट्र	7759.32	3534.08	182.98	235.20	288.63	825.71	0.00	1243.73	330.00	0.00	0.00	249.94	3356.19
22	मणिपुर	180.31	162.28	9.26	10.80	12.40	63.75	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	162.28

\*चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास\* के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

अमृत के अंतर्गत जारी निधियों की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित एसएएपी साइज	प्रतिबद्ध सीए	वित्तीय वर्ष										कुल
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
23	मेघालय	80.14	72.12	4.11	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	39.42	0.00	0.00	71.02
24	मिजोरम	140.25	126.22	7.30	8.40	9.54	49.21	0.00	45.27	0.00	0.00	5.65	0.00	125.37
25	नागालैंड	120.22	108.19	6.29	7.20	0.00	8.14	12.03	0.00	43.52	0.00	30.69	0.00	107.87
26	ओडिशा	1598.96	796.97	45.63	53.04	295.48	78.25	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.23
27	पुदुचेरी	64.91	64.91	3.79	4.32	4.87	0.00	12.73	9.19	9.19	19.66	0.00	0.00	63.75
28	पंजाब	2766.62	1204.47	63.77	80.16	0.00	96.96	0.00	121.44	623.57	0.00	204.87	0.00	1190.77
29	राजस्थान	3223.94	1541.95	91.90	105.22	111.27	419.13	143.91	586.54	0.00	0.00	53.26	0.00	1511.23
30	सिक्किम	40.06	36.06	2.42	2.40	2.39	0.00	5.30	0.00	18.55	0.00	2.97	0.00	34.03
31	तमिलनाडु	11194.78	4756.58	274.48	316.56	360.27	735.43	377.16	278.84	1454.55	0.00	828.95	0.00	4626.24
32	तेलंगाना	1666.26	832.6	40.85	55.44	70.23	135.49	178.82	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	831.53
33	त्रिपुरा	148.25	133.43	6.59	8.88	11.21	0.00	0.00	26.21	79.58	0.00	0.00	0.00	132.47
34	उत्तर प्रदेश	11421.67	4922.46	281.81	327.60	375.08	260.00	226.03	964.37	1418.72	566.88	460.21	0.00	4880.70
35	उत्तराखंड	593.02	533.72	26.74	35.52	44.49	42.74	122.01	113.39	147.02	0.00	0.00	0.00	531.92
36	पश्चिम बंगाल	4035	1929.32	110.49	128.40	146.98	445.14	153.30	245.82	675.26	0.00	0.00	0.00	1905.39
	कुल	77640.02	36035.79 *	1943.24	2402.32	3528.36	5339.07	5685.63	6146.74	6112.88	961.17	2499.83	281.74	34900.9 7

\* पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता को संशोधित कर 100% कर दिया गया, तथा इसे 35,990 करोड़ रु. से बदलकर 36,035.79 करोड़ रु. कर दिया गया।

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

अमृत के अंतर्गत उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष										कुल
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.64	0.72	0.81	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6.49
2	आंध्र प्रदेश	60.08	70.32	397.90	91.39	246.69	0.00	0.00	76.37	0.00		942.76
3	अरुणाचल प्रदेश	7.37	8.40	0.00	9.48	17.63	0.00	56.44	0.00	0.00		99.32
4	असम	3.07	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	179.64	204.80	0.00		457.67
5	बिहार	66.42	77.52	89.02	136.98	0.00	685.93	0.00	0.00	0.00		1055.87
6	चंडीगढ़	0.00	6.61	4.21	16.13	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00		52.40
7	छत्तीसगढ़	55.29	61.72	84.94	205.95	145.67	402.08	0.00	0.00	0.00		955.65
8	दादरा और नगर हवेली	0.68	0.72	0.00	0.76	4.27	0.00	4.16	0.00	0.00		10.59
	दमण और दीव	0.00	0.00	2.06	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	12.92
9	दिल्ली	44.61	53.15	62.70	0.00	151.55	0.00	205.34	0.00	0.00		517.35
10	गोवा	5.94	6.96	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.84		62.75
11	गुजरात	112.86	119.84	181.30	104.78	1074.58	0.00	73.60	0.00	300.00		1966.96
12	हरियाणा	43.80	50.88	58.22	0.00	289.71	147.18	147.18	0.00	0.00		736.97
13	हिमाचल प्रदेश	15.88	18.24	20.69	30.58	60.23	56.73	53.38	0.00	0.00		255.73
14	जम्मू और कश्मीर	30.77	35.52	198.86	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00		358.39
15	लद्दाख		0.00	0.00	0.00	33.21	0.00		0.00	0.00		33.21
16	झारखंड	27.59	33.16	52.48	84.00	135.22	89.83	0.00	0.00	0.00		422.28
17	कर्नाटक	118.46	154.32	325.09	544.01	710.54	280.50	105.86	0.00	0.00		2238.78
18	केरल	57.60	77.28	97.36	0.00	194.74	399.25	119.62	0.00	19.70		965.55
19	लक्षद्वीप	0.00	0.38	0.35	0.00	0.70	0.41	0.27	0.00	0.00		2.11
20	मध्य प्रदेश	134.41	172.56	211.61	952.71	925.00	0.00	100.76	0.00	0.00		2497.05



'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

अमृत के अंतर्गत उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष										कुल
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
21	महाराष्ट्र	182.98	235.20	288.63	825.71	0.00	1243.73	288.76	0.00	0.00		3065.01
22	मणिपुर	9.26	10.75	12.34	63.75	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00		161.91
23	मेघालय	4.11	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00		31.60
24	मिजोरम	7.30	8.40	9.54	49.21	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00		119.72
25	नागालैंड	6.29	7.20	0.00	8.14	12.03	0.00	43.52	0.00	0.00		77.18
26	ओडिशा	45.63	53.04	295.48	78.25	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00		785.23
27	पुदुचेरी	3.79	4.32	4.87	0.00	12.73	9.19	7.06	11.42	0.00		53.38
28	पंजाब	63.77	80.16	0.00	96.96	0.00	121.44	623.57	0.00	204.87		1190.77
29	राजस्थान	91.90	105.22	111.27	419.13	143.91	585.52	0.00	0.00	0.00		1456.95
30	सिक्किम	2.42	2.40	2.39	0.00	5.30	0.00	18.55	0.00	0.00		31.06
31	तमिलनाडु	274.48	316.56	360.27	735.43	377.16	278.84	1454.55	0.00	600.00		4397.29
32	तेलंगाना	40.85	55.44	70.23	135.49	178.82	325.39	0.00	0.00	0.00		806.21
33	त्रिपुरा	6.59	8.88	11.21	0.00	0.00	26.21	79.58	0.00	0.00		132.47
34	उत्तर प्रदेश	281.81	327.60	375.08	260.00	226.03	964.37	1418.72	566.88	1.26		4421.75
35	उत्तराखंड	26.74	35.52	44.49	42.74	122.01	113.39	76.18	0.00	0.00		461.07
36	पश्चिम बंगाल	110.49	128.40	146.98	445.14	153.30	245.82	376.36	0.00	0.00		1606.49
कुल		1943.24	2402.27	3528.30	5339.08	5656.87	6086.90	5455.80	859.47	1167.67	9.32	32448.90

<p style="text-align: right;"><b>अनुलग्नक- 2</b></p> <p><b>'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-2</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा</u></b></p>									
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य पूर्ण हो चुका है		कार्यान्वयन चरण पर			कुल		
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)
<b>1</b>	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	<b>78</b>	<b>10.46</b>	<b>1</b>	<b>0.44</b>	<b>0.26</b>	<b>79</b>	<b>10.90</b>	<b>10.72</b>
<b>2</b>	आंध्र प्रदेश	<b>149</b>	<b>1248.58</b>	<b>77</b>	<b>2085.18</b>	<b>1492.30</b>	<b>226</b>	<b>3333.76</b>	<b>2740.88</b>
<b>3</b>	अरुणाचल प्रदेश	<b>10</b>	<b>91.73</b>	<b>1</b>	<b>38.08</b>	<b>26.66</b>	<b>11</b>	<b>129.81</b>	<b>118.39</b>
<b>4</b>	असम	<b>13</b>	<b>15.98</b>	<b>4</b>	<b>609.73</b>	<b>577.25</b>	<b>17</b>	<b>625.71</b>	<b>593.23</b>
<b>5</b>	बिहार	<b>62</b>	<b>2196.22</b>	<b>3</b>	<b>379.50</b>	<b>292.75</b>	<b>65</b>	<b>2575.72</b>	<b>2488.97</b>
<b>6</b>	चंडीगढ़	<b>12</b>	<b>57.41</b>				<b>12</b>	<b>57.41</b>	<b>57.41</b>
<b>7</b>	छत्तीसगढ़	<b>299</b>	<b>2253.50</b>	<b>9</b>	<b>207.17</b>	<b>194.00</b>	<b>308</b>	<b>2460.67</b>	<b>2447.50</b>
<b>8</b>	दादरा और नगर हवेली	<b>2</b>	<b>41.45</b>				<b>2</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>
<b>9</b>	दमण और दीव	<b>3</b>	<b>25.98</b>				<b>3</b>	<b>25.98</b>	<b>25.98</b>
<b>10</b>	दिल्ली	<b>20</b>	<b>455.09</b>	<b>6</b>	<b>219.68</b>	<b>173.33</b>	<b>26</b>	<b>674.77</b>	<b>628.42</b>
<b>11</b>	गोवा	<b>12</b>	<b>55.85</b>	<b>3</b>	<b>204.13</b>	<b>179.52</b>	<b>15</b>	<b>259.98</b>	<b>235.37</b>
<b>12</b>	गुजरात	<b>445</b>	<b>5107.60</b>	<b>6</b>	<b>58.36</b>	<b>51.45</b>	<b>451</b>	<b>5165.96</b>	<b>5159.05</b>
<b>13</b>	हरियाणा	<b>127</b>	<b>2062.02</b>	<b>9</b>	<b>857.97</b>	<b>731.35</b>	<b>136</b>	<b>2919.99</b>	<b>2793.37</b>
<b>14</b>	हिमाचल प्रदेश	<b>72</b>	<b>287.27</b>	<b>3</b>	<b>17.24</b>	<b>16.63</b>	<b>75</b>	<b>304.51</b>	<b>303.90</b>

<p style="text-align: right;">अनुलग्नक- 2</p> <p>'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-2</p> <p style="text-align: center;"><u>अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा</u></p>									
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य पूर्ण हो चुका है		कार्यान्वयन चरण पर			कुल		
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)
15	जम्मू और कश्मीर	82	516.61	2	11.38	0.30	84	527.99	516.91
16	झारखंड	42	220.90	17	1394.16	1041.83	59	1615.06	1262.73
17	कर्नाटक	394	4399.74	13	719.21	512.00	407	5118.95	4911.74
18	केरल	1018	1766.67	92	772.03	549.00	1110	2538.70	2315.67
19	लद्दाख	9	9.49	11	62.53	24.24	20	72.02	33.73
20	लक्षद्वीप	6	2.42				6	2.42	2.42
21	मध्य प्रदेश	203	4645.16	13	2120.75	1760.39	216	6765.91	6405.55
22	महाराष्ट्र	176	4871.65	32	3141.63	2671.49	208	8013.28	7543.14
23	मणिपुर	1	1.28	5	210.59	201.38	6	211.87	202.66
24	मेघालय	13	74.53	2	7.12	6.94	15	81.65	81.47
25	मिजोरम	14	130.58	2	9.67	3.10	16	140.25	133.68
26	नागालैंड	21	64.38	6	62.58	56.98	27	126.96	121.36
27	ओडिशा	191	1714.42				191	1714.42	1714.42
28	पुदुचेरी	20	42.66	3	21.44	20.89	23	64.10	63.55
29	पंजाब	137	1163.43	26	1597.59	1262.84	163	2761.02	2426.27
30	राजस्थान	128	2462.84	16	1085.48	1020.22	144	3548.32	3483.06
31	सिक्किम	75	37.53				75	37.53	37.53
32	तमिलनाडु	433	7810.68	12	5528.75	4826.92	445	13339.43	12637.60

<p style="text-align: right;"><b>अनुलग्नक- 2</b></p> <p><b>'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-2</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा</u></b></p>									
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य पूर्ण हो चुका है		कार्यान्वयन चरण पर			कुल		
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ रुपये में)
<b>33</b>	तेलंगाना	<b>66</b>	<b>1663.08</b>				<b>66</b>	<b>1663.08</b>	<b>1663.08</b>
<b>34</b>	त्रिपुरा	<b>10</b>	<b>160.28</b>				<b>10</b>	<b>160.28</b>	<b>160.28</b>
<b>35</b>	उत्तर प्रदेश	<b>602</b>	<b>8279.91</b>	<b>68</b>	<b>3566.88</b>	<b>3194.68</b>	<b>670</b>	<b>11846.79</b>	<b>11474.59</b>
<b>36</b>	उत्तराखंड	<b>143</b>	<b>511.69</b>	<b>7</b>	<b>78.94</b>	<b>70.90</b>	<b>150</b>	<b>590.63</b>	<b>582.59</b>
<b>37</b>	पश्चिम बंगाल	<b>459</b>	<b>3099.69</b>	<b>14</b>	<b>950.56</b>	<b>882.87</b>	<b>473</b>	<b>4050.25</b>	<b>3982.56</b>
<b>कुल योग</b>		<b>5547</b>	<b>57558.76</b>	<b>463</b>	<b>26018.77</b>	<b>21842.46</b>	<b>6010</b>	<b>83577.53</b>	<b>79401.22</b>

अनुलग्नक 3

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-3

अमृत 2.0 की राज्य-वार प्रगति

#	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएँ		अनुमोदित डीपीआर		जारी एनआईटी		साँपे गए ठेके		पूर्ण कार्य		भौतिक रूप से पूर्ण कार्य (करोड़ में)
		संख्या	लागत (करोड़ में)	संख्या	लागत (करोड़ में)	संख्या	लागत (करोड़ में)	संख्या	लागत (करोड़ में)	संख्या	लागत (करोड़ में)	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	34.90	1	5.39	1	5.39	1	5.39			0.00
2	आंध्र प्रदेश	552	8,517.69	403	5,784.81	297	3,337.16	250	2,637.71	68	140.22	439.66
3	अरुणाचल प्रदेश	19	185.02	19	183.01	15	90.72	15	90.72	4	3.38	5.72
4	असम	60	961.98	53	910.73	51	909.66	44	680.63			104.11
5	बिहार	64	8,481.14	13	2,432.77							0.00
6	चंडीगढ़	6	175.94	5	120.66	5	120.66	4	105.68	1	2.35	31.83
7	छत्तीसगढ़	76	3,308.19	38	2,675.01	37	2,472.17	29	1,356.50			305.20
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	63.47	1	63.47	1	63.47	1	63.47			41.26
9	दिल्ली	89	2,499.05	68	927.93	33	353.75	30	329.87	16	14.62	284.72
10	गोवा	24	173.42	23	152.37	22	144.39	22	144.39			53.58
11	गुजरात	922	17,717.74	874	15,710.62	860	15,308.77	787	14,008.03	97	492.65	5,035.70
12	हरियाणा	57	1,727.36	57	1,385.51	56	1,347.13	54	1,278.09	1	0.40	561.42
13	हिमाचल प्रदेश	49	321.66	49	289.57	48	280.07	42	225.47	5	1.34	91.16
14	जम्मू और कश्मीर	153	1,665.11	118	849.68	88	759.52	62	179.58	15	4.81	6.58
15	झारखंड	113	4,202.53	109	1,880.52	104	1,876.55	78	1,069.01	22	27.75	76.43

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-3

**अमृत 2.0 की राज्य-वार प्रगति**

#	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएँ		अनुमोदित डीपीआर		जारी एनआईटी		सौंपे गए ठेके		पूर्ण कार्य		भौतिक रूप
16	कर्नाटक	684	10,274.13	214	8,644.77	205	8,252.02	171	7,070.93			1,346.18
17	केरल	740	3,743.43	638	2,439.22	412	1,812.58	354	1,151.02	43	26.74	530.36
18	लद्दाख	3	195.05	1	3.00	1	3.00					0.00
19	लक्षद्वीप											
20	मध्य प्रदेश	1273	12,963.14	109 4	10,597.55	109 1	10,502.9 6	932	5,340.96	160	47.18	808.22
21	महाराष्ट्र	286	30,452.90	228	21,865.38	222	20,576.4 2	201	18,116.85			5,216.16
22	मणिपुर	32	155.73	23	10.54	21	10.29	21	10.29			1.70
23	मेघालय	1	121.00	1	121.00	1	121.00	1	121.00			91.96
24	मिजोरम	106	157.78	93	155.97	20	143.97	20	143.97			42.45
25	नागालैंड	64	218.90	32	71.55	32	71.55	32	71.55			0.00
26	ओडिशा	348	3,940.98	336	3,081.99	321	3,021.55	291	2,570.96	77	558.64	1,659.26
27	पुदुचेरी	19	189.68	17	183.01	17	183.01	11	153.09			55.58
28	पंजाब	195	3,659.47	139	1,705.04	126	1,554.70	63	462.21			16.43
29	राजस्थान	321	10,823.72	200	6,130.51	200	6,130.51	97	4,735.65	17	48.13	1,992.35
30	सिक्किम	8	49.41	8	49.30	8	49.30	8	49.30	1	1.25	17.52
31	तमिलनाडु	1270	14,687.83	126 7	13,733.40	125 5	13,731.1 6	1253	12,972.88	567	433.17	5,891.50
32	तेलंगाना	252	9,584.26	249	9,574.82	107	5,355.05	107	5,355.05			294.58
33	त्रिपुरा	18	191.53	18	172.65	18	172.65	17	170.84			119.43
34	उत्तर प्रदेश	655	26,758.53	508	17,470.06	482	16,974.1 5	407	11,521.70	7	51.89	3,867.87

**अनुलग्नक 3**

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-3

**अमृत 2.0 की राज्य-वार प्रगति**

#	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएँ		अनुमोदित डीपीआर		जारी एनआईटी		सौंपे गए ठेके		पूर्ण कार्य		भौतिक रूप
35	उत्तराखंड	19	263.04	11	165.17	10	159.41	10	159.41			60.22
36	पश्चिम बंगाल	388	10,621.59	304	7,254.19	268	6,591.09	207	5,484.26	9	45.99	1,686.68
कुल		8868	1,89,087.31	7212	1,36,801.17	6435	1,22,485.78	5622	97,836.45	1110	1,900.50	30,735.81

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-4

**अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्से और प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की राज्य-वार स्थिति**

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध सीए (परियोजनाएं)	जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा					प्राप्त यूसी				
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल
1	अंडमान और निकोबार	36	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2948	0.00	213.12	376.43	0.00	589.55	0.00	200.22	0.00	0.00	200.22
3	अरुणाचल प्रदेश	226	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	775	0.00	56.65	0.00	89.09	145.74	0.00	17.89	0.00	0.00	17.89
5	बिहार	2628	0.00	0.00	400.00	10.77	410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	170	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1303	0.00	148.40	0.00	4.12	152.52	0.00	125.53	0.00	0.00	125.53
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	30	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	2885	0.00	211.41	0.00	71.25	282.66	0.00	172.73	0.00	0.00	172.73
10	गोवा	85	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गुजरात	4512	0.00	602.73	0.00	702.74	1305.47	0.00	602.73	0.00	275.00	877.73
12	हरियाणा	1496	0.00	0.00	140.00	4.24	144.24	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
13	हिमाचल प्रदेश	256	0.00	0.00	51.56	51.11	102.67	0.00	0.00	48.51	0.00	48.51
14	जम्मू और कश्मीर	867	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	झारखंड	1183	98.23	6.29	0.00	82.92	187.44	8.23	0.00	0.00	0.00	8.23
16	कर्नाटक	4628	0.00	614.37	0.00	462.77	1077.14	0.00	614.37	0.00	278.91	893.28
17	केरल	1374	0.00	148.74	0.00	0.00	148.74	0.00	101.36	0.00	0.00	101.36
18	लद्दाख	128	0.00	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप*	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	4065	130.08	153.77	0.00	0.00	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	9310	0.00	1140.68	0.00	911.28	2051.96	0.00	1140.68	0.00	373.36	1514.04



'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-4

अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्से और प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की राज्य-वार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध सीए (परियोजनाएं)	जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा					प्राप्त यूसी				
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल
22	मणिपुर	170	0.00	0.60	16.45	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	111	0.00	21.69	43.38	10.85	75.92	0.00	21.69	43.38	10.85	75.92
24	मिजोरम	143	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	24.71	0.00	24.71
25	नागालैंड	176	0.00	0.00	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1373	127.47	101.92	126.00	168.65	524.04	127.47	97.25	126.00	0.00	350.72
27	पुदुचेरी	150	0.00	12.42	16.40	18.22	47.04	0.00	12.42	16.40	18.22	47.04
28	पंजाब	1836	0.00	254.69	0.00	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	राजस्थान	3552	0.00	95.53	213.75	386.17	695.45	0.00	95.53	202.54	0.00	298.06
30	सिक्किम	40	0.00	0.00	3.62	4.38	8.00	0.00	0.00	3.62	0.00	3.62
31	तमिलनाडु	4942	0.00	398.13	447.73	769.07	1614.92	0.00	398.13	421.32	0.00	819.45
32	तेलंगाना	2789	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	157	0.00	18.42	46.51	14.18	79.11	0.00	18.42	36.84	0.00	55.26
34	उत्तर प्रदेश	8161	0.00	521.41	156.66	618.60	1296.68	0.00	521.41	156.66	579.06	1257.14
35	उत्तराखंड	585	0.00	42.08	0.00	55.32	97.39	0.00	31.22	0.00	0.00	31.22
36	पश्चिम बंगाल	3658	0.00	495.65	0.00	0.00	495.65	0.00	424.25	0.00	0.00	424.25
कुल		66750	455.78	5461.99	2146.94	4447.23	12511.94	135.70	4595.83	1219.97	1535.39	7486.90

\*लक्षद्वीप ने अमृत 2.0 के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

अनुलग्नक- 5

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	245
पोर्ट ब्लेयर	245
आंध्र प्रदेश	1,984
अमरावती	560
काकीनाडा	490
तिरुपति	392
विशाखापत्तनम	542
अरुणाचल प्रदेश	978
ईटानगर	488
पासीघाट	490
असम	490
गुवाहाटी	490
बिहार	1,735
भागलपुर	490
बिहारशरीफ	376
मुजफ्फरपुर	442
पटना	427
चंडीगढ़	490
चंडीगढ़	490
छत्तीसगढ़	1,352
अटल नगर	488
बिलासपुर	429
रायपुर	435
दादर और नागर हवेली	392
सिल्वासा	392
दमण और दीव	386
दीव	386
दिल्ली	343
एनडीएमसी	343
गोवा	441

अनुलग्नक- 5

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
पणजी	441
गुजरात	2,947
अहमदाबाद	490
दाहोद	417
गांधीनगर	490
राजकोट	490
सूरत	570
वडोदरा	490
हरियाणा	980
फरीदाबाद	490
करनाल	490
हिमाचल प्रदेश	978
धर्मशाला	490
शिमला	488
जम्मू और कश्मीर	856
जम्मू	440
श्रीनगर	416
झारखंड	490
रांची	490
कर्नाटक	3,507
बेलगावी	490
बेंगलुरु	488
दावणगेरे	490
हुबबल्ली, धारवाड़	606
मंगलुरु	453
शिवमोगा	490
तुमकुरु	490
केरल	993
कोच्चि	505
तिरुवनंतपुरम	488

अनुलग्नक- 5

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
लक्षद्वीप	183
कावारती	183
मध्य प्रदेश	3,510
भोपाल	490
ग्वालियर	490
इंदौर	490
जबलपुर	490
सागर	490
सतना	490
उज्जैन	570
महाराष्ट्र	3,826
अमरावती #	2
औरंगाबाद	490
ग्रेटर मुंबई #	2
कल्याण-डोम्बीवली	490
नागपुर	453
नासिक	429
पिंपरी-चिंचवाड	490
पुणे	490
सोलापुर	490
ठाणे	490
मणिपुर	352
इंफाल	352
मेघालय	490
शिलांग	490
मिजोरम	490
आइजोल	490
नागालैंड	490
कोहिमा	490
ओडिशा	988

**अनुलग्नक- 5**

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
राउरकेला	490
भुवनेश्वर	498
पुदुचेरी	415
पुदुचेरी	415
पंजाब	1,527
अमृतसर	498
जालंधर	444
लुधियाना	490
सुल्तानपुर लोधी *	95
राजस्थान	1,960
अजमेर	490
जयपुर	490
कोटा	490
उदयपुर	490
सिक्किम	932
गंगटोक	488
नामची	444
तमिलनाडु	5,504
चेन्नई	602
कोयंबटूर	490
डिंडीगुल #	2
इरोड	490
मदुरै	490
सलेम	490
तंजावर	490
थुथुकुडी	490
तिरुचिरापल्ली	490
तिरुनेलवेली	490
तिरुपूर	490
वेल्लोर	490

**अनुलग्नक- 5**

**'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5**

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
तेलंगाना	806
ग्रेटर वारंगल	377
करीमनगर	429
त्रिपुरा	541
अगरतला	541
उत्तर प्रदेश	4,906
आगरा	490
अलीगढ़	490
बरेली	490
गाजियाबाद #	2
झांसी	490
कानपुर	490
लखनऊ	490
मेरठ/रायबरेली #	2
मुरादाबाद	490
प्रयागराज	490
रामपुर #	2
सहारनपुर	490
वाराणसी	490
उत्तराखंड	536
देहरादून	536

**अनुलग्नक- 5**

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक **3 अप्रैल, 2025** को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **5511** के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-5

एससीएम के तहत चयनित शहरों द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में )

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससीएम की शुरुआत से अब तक दावा की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता
पश्चिम बंगाल	<b>496</b>
बिधाननगर #	<b>2</b>
दुर्गापुर #	<b>2</b>
हल्दिया #	<b>2</b>
न्यू टाउन कोलकाता	<b>490</b>
<b>कुल योग</b>	<b>47,538</b>

*टिप्पणी:*

- 1. #** का अर्थ है 'स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित नहीं हुआ शहर' (**18** करोड़ रु.)
- 2. \*** का अर्थ है सुल्तानपुर लोधी को दी जाने वाली निधियां

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-6

100 स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहर-वार प्रगति (4 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएं	
	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	18	511	7	40	11	472
पोर्ट ब्लेयर	18	511	7	40	11	472
आंध्र प्रदेश	280	6,589	235	5,661	45	928
अमरावती	19	903	14	746	5	157
काकीनाडा	92	1,908	80	1,731	12	177
तिरुपति	104	2,083	79	1,611	25	472
विशाखापत्तनम	65	1,695	62	1,574	3	122
अरुणाचल प्रदेश	75	1,032	55	615	20	417
ईटानगर	32	521	22	378	10	143
पासीघाट	43	512	33	237	10	275
असम	21	755	19	722	2	32
गुवाहाटी	21	755	19	722	2	32
बिहार	152	5,349	126	4,211	26	1,138
भागलपुर	27	1,504	25	1,395	2	109
बिहारशरीफ	61	1,449	52	1,143	9	306
मुजफ्फरपुर	30	966	22	626	8	340
पटना	34	1,430	27	1,046	7	383
चंडीगढ़	97	2,694	96	2,692	1	2
चंडीगढ़	97	2,694	96	2,692	1	2
छत्तीसगढ़	520	4,443	494	4,009	26	435
अटल नगर	52	944	45	856	7	89
बिलासपुर	126	1,765	115	1,529	11	236
रायपुर	342	1,734	334	1,624	8	110
दादरा और नगर हवेली	29	853	11	406	18	448
सिल्वासा	29	853	11	406	18	448
दमण और दीव	54	1,037	43	706	11	332
दीव	54	1,037	43	706	11	332
दिल्ली	129	1,034	120	874	9	160
एनडीएमसी	129	1,034	120	874	9	160
गोवा	51	1,051	42	849	9	202



राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएं	
	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा
पणजी	51	1,051	42	849	9	202
गुजरात	354	11,451	345	11,019	9	432
अहमदाबाद	70	2,655	69	2,626	1	29
दाहोद	36	984	31	795	5	189
गांधीनगर	43	1,046	41	836	2	210
राजकोट	71	2,184	70	2,179	1	5
सूरत	82	2,638	82	2,638	-	-
वडोदरा	52	1,943	52	1,943	-	-
हरियाणा	164	2,079	141	1,700	23	379
फरीदाबाद	44	929	33	753	11	176
करनाल	120	1,150	108	947	12	202
हिमाचल प्रदेश	291	1,552	265	1,206	26	346
धर्मशाला	80	656	57	366	23	290
शिमला	211	896	208	840	3	56
जम्मू और कश्मीर	288	6,597	265	6,166	23	430
जम्मू	127	2,969	118	2,779	9	190
श्रीनगर	161	3,627	147	3,387	14	240
झारखंड	26	1,847	26	1,847	-	-
रांची	26	1,847	26	1,847	-	-
कर्नाटक	917	13,808	891	13,393	26	415
बेलगावी	217	2,780	211	2,716	6	63
बेंगलुरु	57	1,050	56	1,031	1	19
दावनगेरे	128	1,976	125	1,933	3	43
हुबबल्ली, धारवाड़	81	1,950	78	1,817	3	133
मंगलुरु	105	2,573	93	2,425	12	149
शिवमोगा	112	1,381	111	1,372	1	9
तुमकुरु	217	2,099	217	2,099	-	-
केरल	177	3,003	153	2,571	24	432
कोच्चि	98	1,761	87	1,567	11	194
तिरुवनंतपुरम	79	1,242	66	1,004	13	239
लक्षद्वीप	8	11	8	11	-	-
कावारत्ती	8	11	8	11	-	-
मध्य प्रदेश	788	15,070	758	14,410	30	661
भोपाल	82	2,791	82	2,791	-	-
ग्वालियर	83	1,572	76	1,367	7	205
इंदौर	232	3,759	231	3,751	1	7
जबलपुर	130	2,197	130	2,197	-	-

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएं	
	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा
सागर	80	1,782	77	1,659	3	123
सतना	86	1,357	71	1,098	15	259
उज्जैन	95	1,613	91	1,547	4	66
महाराष्ट्र	348	17,044	324	15,146	24	1,898
औरंगाबाद	47	2,835	44	2,623	3	213
कल्याण-डोम्बीवली	19	1,245	15	716	4	529
नागपुर	47	1,768	38	1,508	9	260
नासिक	54	3,197	50	2,986	4	211
पिंपरी-चिंचवाड	25	1,304	24	1,172	1	132
पुणे	55	3,333	55	3,333	-	-
सोलापुर	49	1,651	48	1,407	1	244
ठाणे	52	1,712	50	1,402	2	310
मणिपुर	27	513	19	247	8	266
इंफाल	27	513	19	247	8	266
मेघालय	13	517	10	453	3	64
शिलांग	13	517	10	453	3	64
मिजोरम	45	508	32	278	13	230
आइजोल	45	508	32	278	13	230
नागालैंड	40	689	38	591	2	98
कोहिमा	40	689	38	591	2	98
ओडिशा	107	3,589	104	3,427	3	162
भुवनेश्वर	32	2,072	31	2,057	1	15
राउरकेला	75	1,517	73	1,370	2	147
पुदुचेरी	80	595	67	312	13	283
पुदुचेरी	80	595	67	312	13	283
पंजाब	205	4,450	179	3,969	26	481
अमृतसर	44	1,911	39	1,759	5	152
जालंधर	80	1,197	71	975	9	222
लुधियाना	81	1,342	69	1,235	12	108
राजस्थान	579	8,640	566	8,368	13	272
अजमेर	179	2,224	174	2,166	5	58
जयपुर	170	2,545	165	2,369	5	177
कोटा	87	2,154	84	2,116	3	38
उदयपुर	143	1,717	143	1,717	-	-
सिक्किम	54	1,660	46	1,423	8	237
गंगटोक	28	743	23	652	5	91
नामची	26	917	23	771	3	146

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएं	
	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा	परियोजना	मात्रा
तमिलनाडु	730	17,954	717	17,626	13	328
चेन्नई	49	1,104	48	1,097	1	7
कोयंबटूर	72	1,455	72	1,455	-	-
इरोड	55	1,304	55	1,304	-	-
मदुरै	16	1,900	16	1,900	-	-
सलेम	114	1,861	114	1,861	-	-
तंजावुर	103	996	101	974	2	23
थुथुकुडी	75	1,038	75	1,038	-	-
तिरुचिरापल्ली	83	1,548	79	1,315	4	233
तिरुनेलवेली	82	1,819	80	1,806	2	13
तिरुपूर	28	2,833	26	2,796	2	37
वेल्लोर	53	2,096	51	2,081	2	15
तेलंगाना	169	2,918	108	2,249	61	669
ग्रेटर वारंगल	119	1,800	72	1,364	47	436
करीमनगर	50	1,117	36	884	14	233
त्रिपुरा	77	808	74	761	3	46
अगरतला	77	808	74	761	3	46
उत्तर प्रदेश	891	21,145	868	20,423	23	722
आगरा	62	2,369	62	2,369	-	-
अलीगढ़	52	1,830	47	1,600	5	230
बरेली	88	1,476	88	1,476	-	-
झांसी	78	1,868	78	1,868	-	-
कानपुर	91	3,060	89	3,000	2	60
लखनऊ	103	2,126	102	2,115	1	11
मुरादाबाद	41	1,461	39	1,425	2	35
प्रयागराज	144	2,326	142	2,262	2	64
सहारनपुर	115	1,287	104	966	11	321
वाराणसी	117	3,342	117	3,342	-	-
उत्तराखंड	33	1,144	32	939	1	204
देहरादून	33	1,144	32	939	1	204
पश्चिम बंगाल	226	1,604	220	987	6	618
न्यू टाउन कोलकाता	226	1,604	220	987	6	618
कुल	8,063	1,64,545	7,504	1,50,306	559	14,239

अनुलग्नक- 7

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-7

एसबीएम-यू के अंतर्गत आवंटित और दावा की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा (2014 से 2021)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आबंटन	दावा किया गया धन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.52	1.69
2	आंध्र प्रदेश	571.33	567.36
3	अरुणाचल प्रदेश	36.28	36.04
4	असम	244.30	207.49
5	बिहार	556.68	385.95
6	चंडीगढ़	28.02	36.37
7	छत्तीसगढ़	357.85	357.85
8	दादरा एवं नगर हवेली	4.13	0.92
9	दमण और दीव	2.58	0.66
10	दिल्ली	349.75	216.61
11	गोवा	17.09	15.49
12	गुजरात	834.15	817.00
13	हरियाणा	287.08	186.01
14	हिमाचल प्रदेश	43.95	40.94
15	जम्मू और कश्मीर	200.63	155.80
17	झारखंड	258.71	261.60
18	कर्नाटक	820.96	758.63
19	केरल	219.99	97.18
20	मध्य प्रदेश	920.04	904.33
21	महाराष्ट्र	1677.80	1460.77
22	मणिपुर	83.10	73.14
23	मेघालय	24.12	10.66
24	मिजोरम	49.02	49.82
25	नागालैंड	53.49	48.60
26	ओडिशा	372.02	288.84
27	पुदुचेरी	28.94	17.84
28	पंजाब	364.02	295.78
29	राजस्थान	705.46	611.35
30	सिक्किम	11.52	10.03
31	तमिलनाडु	1200.50	1144.68

<b>32</b>	तेलंगाना	<b>413.74</b>	<b>343.82</b>
<b>33</b>	त्रिपुरा	<b>100.37</b>	<b>61.99</b>
<b>34</b>	उत्तर प्रदेश	<b>1740.98</b>	<b>1689.31</b>
<b>35</b>	उत्तराखंड	<b>112.00</b>	<b>124.80</b>
<b>36</b>	पश्चिम बंगाल	<b>911.34</b>	<b>626.24</b>

अनुलग्नक- 8

'चंडीगढ़ में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास' के संबंध में दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-8

एसबीएम-यू 2.0 (2021 से 2026) के अंतर्गत आवंटित और दावा की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा  
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आबंटन	दावा की गई निधियां (19.03.25 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.60	1.95
2	आंध्र प्रदेश	1413.30	298.68
3	अरुणाचल प्रदेश	129.00	29.70
4	असम	503.50	82.02
5	बिहार	1204.80	269.45
6	चंडीगढ़	45.20	26.83
7	छत्तीसगढ़	727.30	209.67
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	31.20	0.18
9	दिल्ली	1192.60	591.68
10	गोवा	77.80	7.72
11	गुजरात	1918.90	317.13
12	हरियाणा	645.70	13.46
13	हिमाचल प्रदेश	156.70	33.09
14	जम्मू और कश्मीर	429.90	97.46
15	झारखंड	519.00	52.42
16	कर्नाटक	2245.30	326.68
17	केरल	875.10	55.33
18	लद्दाख	62.70	2.66
19	मध्य प्रदेश	2200.20	467.19
20	महाराष्ट्र	3758.50	875.81
21	मणिपुर	96.20	25.00
22	मेघालय	67.30	16.79
23	मिजोरम	82.50	19.93
24	नागालैंड	158.88	41.51
25	ओडिशा	821.40	285.17
25	पुदुचेरी	83.21	32.22
27	पंजाब	1054.20	216.49
28	राजस्थान	1765.80	252.08
29	सिक्किम	19.40	4.03

<b>30</b>	तमिलनाडु	<b>3296.70</b>	<b>829.65</b>
<b>31</b>	तेलंगाना	<b>1067.30</b>	<b>393.78</b>
<b>32</b>	त्रिपुरा	<b>85.30</b>	<b>15.34</b>
<b>33</b>	उत्तर प्रदेश	<b>4073.80</b>	<b>461.52</b>
<b>34</b>	उत्तराखंड	<b>343.40</b>	<b>32.68</b>
<b>35</b>	पश्चिम बंगाल	<b>1449.30</b>	<b>217.65</b>

\*\*\*